

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 447]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 अक्टूबर 2011—आश्विन 9, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अक्टूबर 2011

संशोधन आदेश

फा. क्र. 1 (बी)-1-2004-इक्कीस-ब (दो).—राज्य शासन इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 23 सितम्बर 2011 में निम्नानुसार संशोधन करता है:—

उक्त आदेश के पंक्ति 3 में राज्य शासन के बाद “भोपाल राजस्व जिले के लिये” एवं पंक्ति क्रमांक 04 में 11(ग्यारह) से पहले “नवीन” शब्द प्रतिस्थापित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.